प्रेषक,

आयुक्त,
झांसी मण्डल,
झांसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल
वार्ड 14, आजादपुरा–ललितपुर।

पत्रांक क्ष0शि0नि0का0.झांसी /अनापत्ति/2017–18 दिनांक 2? जून 2017

विषयः माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल वार्ड 14 आजादपुरा– ललितपुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) से सम्बद्धता प्राप्त किए जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र संख्या 402 दिनांक 05/04/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व अनापत्ति प्रदान करने विषयक है। इस संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) संख्या **No. CBSE/Aff./Circular/7/2016/1182259 Dated: 29.12.2016** द्वारा **AMENDMENT IN AFFILIATION BY-LAWS OF THE BOARD-Rule 3.3(i) CHAPTER II-Reg** द्वारा **The school seeking provisional affiliation with the Board shall submit the following documents:- (a) Formal prior Recognition letter from concerned State Education Department i.e. Recognition for classes I to V required for Middle Class Approval and Recognition for classes I to VIII required for Provisional Affiliation upto Secondary Level AND**

(b) No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with CBSE No Objection Certificate once issued to any school will be considered at par even if it is prescribed a specific period and/or level unless it is withdrawn. Condition to submit No Objection Certificate will not be applicable to categories of schools stated at Rule 3.1 (i) to (iv) of Affiliation By-Laws of the Board. पाठ्क्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निवाधन (क्लीयरेंस) प्रदान किये जाने संबन्धी गठित समिति की संस्तुति के आधार पर संस्थान के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा निर्धारित मानकों के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेंस) निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है–

1. पाठ्यक्रम का संचालन सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

2. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन तथा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गए किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

Principal
Central Public School
Lalitpur (U.P.)

Manager
Central Public School
Lalitpur (U.P.)

3. संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा। राज्य सरकार एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) द्वारा मानकों के अनुसार भूमि भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त पाठ्क्रम में स्टाफ के वेतन आदिन पर पड़ने वाला समस्त भारं संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आश्य को लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

मानकानुसार आवश्यक भूमि संस्थान के नाम राजस्य अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से तय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति संबद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त पाठ्यकम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ भू–अभिलेखों में उल्लिखित वार्ड 14, आजादपुरा–ललितपुर के खाता खतौनी संख्या 3575/4544/5115/5267/5485 के गाटा सं 01 कुल रकबा 0.621 हे0 में ही संचालित किया जाएगा। अन्यंत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा।

ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबंध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर संबन्धी नहीं होंगे और भूमि संस्थान के नाम विधितः अनरित कर दी जायेगी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व मानकों के अनुसार धनराशि जमा रखना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसारः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रबन्धक/सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल वार्ड 14 आजादपुरा ललितपुर।
3. शिक्षा निदेशक (मा0शि0) इलाहाबाद उ0प्र0।
4. क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक झांसी मण्डल।
5. जिलाधिकारी ललितपुर।
6. अपर आयुक्त, प्रशासन, झांसी मण्डल, झांसी।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर।
8. गार्ड फाइल।

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

Principal
Central Public School
Lalitpur (U.P.)

Manager
Central Public School
Lalitpur (U.P)